Section

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

बाबूलाल बनाम / आदि

संख्या 41(प) - 64/2010

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	12-3-25.	पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सि० प्र० सं० हेतु पेश हुयी है। वादी ने यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा -188 राज० काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया है। वादी ने वाद के चरण सं-① में उल्लेखित विवादित भूमि मे वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा होना वाद में स्वयं कथन किया है। प्रतिवादी सं. 1/2 ने प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 पेश कर कथन किया है कि वाद में विवादित भूमि के खसरा नम्बरों का दिनांक 23/4/2002 को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम रा.उ.को.

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या 64/2010

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	12/3/25	90-B की कार्यवाही हो चुकी है। उक्त भूमि कृषि भूमि न होकर आवासीय भूमि हो चुकी है। इसलिए यह वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अप्रार्थी / वादी ने अपने जबावी कथन में जाहिर किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रकरण सं 219/2002 के निर्णय दिनांक 23/4/2002 में पृष्ठ सं-2 में स्पष्ट लिखा है कि 'तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट में बताया है कि आराजी खसरा नम्बर 205 में पूर्व की ओर 0.04 हैक्टेयर पर मकानात व बाउण्ड्रीवाल बनी हुयी है, शेष 0.08 है० भूमि पर कृषि की जा रही है

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

बनाम

[illegible] / [illegible]

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

...म न्यायालय

...प संख्या 6145 64/2010

...संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	12/3/25.	~~[illegible]~~ एवं खसरा नं. 206 व 207 में भी काश्त की जा रही है।" अतः विवादित भूमि वर्तमान में कृषि उपयोग में ली जा रही है। न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-पी-2, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकरण संख्या-219/2002 निर्णय दिनांक 23.4.2002 की फोटोप्रति प्रार्थना-पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी के साथ पेश हुयी है जिसमें विवादित भूमि के सम्पूर्ण खसरा नम्बरों में से खसरा नम्बर 206 व 207 एवं 205 का कुछ रकबा, धारा-90 (ख) के तहत सम्परिवर्तन से छोड़ा गया है। वादी का वाद पढ़ने, प्रा०पत्र, जबाव प्रा०पत्र एवं उसके साथ	

[signature]

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

बनाम

अब्दुल... / राजि.को.

सहायक कलक्टर
न्याय... जयपुर शहर प्रथम

...त संख्या ... 64/2010

... संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	12/3/20	संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि विवादित भूमि के अधिकांश भाग का भूमि उपयोग परिवर्तन होकर सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 23.4.2002 से गैर कृषि हो चुका है, जिस पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। दूसरा, वादी ने स्वयं कथन किया है कि विवादित भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगणों का है यानि वादी ने यह वाद सहखातेदारों के विरुद्ध पेश किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करवा

सहायक कलक्टर
... प्रथम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

...न्यायालय ...

...संख्या 6(05) 8.4/2010

...या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत सम्भ यो	निर्णय...
	12/3/25	सकता है। अतः वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित है। प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम -11 जा० दी० स्वीकार किया जाकर वादी का वाद क्षेत्राधिकार से बाहर होने एवं विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12/3/25 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। sd/- सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	